VAID ICS LAW

यूपीपीसीएस (जे) / एपीओ / अन्य न्यायिक परीक्षाएं

मासिक विधिक सामयिकी

(सितम्बर -2024)

(हिन्दी संस्करण)

B 36, SECTOR C, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

लिमिन क्या है?

चर्चा में क्यों? केंद्र ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रिपल तलाक ने पत्नियों को छोड़ने को वैध और संस्थागत बना दिया है, क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रथा को अपराध घोषित करने वाले **2019 के कानून का बचाव किया** और आग्रह किया कि इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जाए।

कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में अदालत में दायर एक हलफनामे में, भारत संघ ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा 2017 में इस प्रथा को अलग रखे जाने के बावजूद, इसने समुदाय के सदस्यों के बीच "इस प्रथा द्वारा तलाक की संख्या को कम करने में पर्याप्त निवारक के रूप में काम नहीं किया है"।

- "यह प्रस्तुत किया गया है कि संसद ने अपने विवेक से ट्रिपल तलाक द्वारा तलाक लेने वाली विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विवादित अधिनियम बनाया है।
- हलफनामे में कहा गया है, "**आलोचित अधिनियम विवाहित मुस्लिम महिलाओं** के लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के बड़े संवैधानिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है और गैर-भेदभाव और सशक्तिकरण के उनके मौलिक अधिकारों को पूरा करने में मदद करता है।" **हलफनामे में कहा गया है कि भले ही सुप्रीम** कोर्ट की संविधान पीठ ने तीन तलाक को "असंवैधानिक" करार दिया हो, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी इस तरह के तलाक की खबरें हैं।
- "यह देखा गया कि इस माननीय न्यायालय द्वारा **तलाक-ए-बिद्दत** को अलग रखने से कुछ मुसलमानों में इस प्रथा द्वारा तलाक की संख्या में कमी लाने में पर्याप्त निवारक के रूप में काम नहीं किया है।
- "इसलिए, यह महसूस किया गया कि इस माननीय न्यायालय के आदेश को प्रभावी बनाने और अवैध तलाक के पीड़ितों की शिकायतों का निवारण करने के लिए राज्य की कार्रवाई की आवश्यकता है और अंततः कानून बनाया गया," केंद्र ने कहा।
- केंद्र सरकार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने "**लगातार यह माना है कि न्यायालय उपाय की बुद्धिमत्ता** पर नहीं जा सकता है, बल्कि केवल कानून की संवैधानिकता पर विचार कर सकता है।

"इसी तरह, न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करने और यदि यह **वैध है, तो कानून को लागू करने के लिए चिंतित** है, जैसा कि वह पाता है, और इस बात पर चर्चा नहीं करता है कि कानून क्या होना चाहिए।

हलफनामे में कहा गया है, "माननीय न्यायालय ने बार-बार यह स्वीकार किया है कि यह निर्धारित करना **विधानमंडल** का काम है कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और उन्हें अपनी शक्तियों की सीमा के भीतर अपने कार्यों का प्रयोग करने की पूरी छूट दी जानी चाहिए, अन्यथा सभी प्रगति बाधित हो जाएगी।"

• केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने खुद **तलाक-ए-बिद्दत** की प्रथा को खारिज कर दिया है, तो न्यायालय को "विधायी अधिनियम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।" केंद्र ने कहा, "इस प्रकार, **विवादित अधिनियम इस माननीय न्यायालय** द्वारा निर्धारित निर्णय को लागू करने के लिए संसद द्वारा बनाया गया कानून है। इसे देखते हुए, रिट याचिका को समय रहते खारिज किया जाना चाहिए।"

• इसने तर्क दिया कि "**जहां शायरा बानो मामले में खुद तीन तलाक** की प्रथा को स्पष्ट रूप से मनमाना माना गया है, वहां यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि इस प्रथा को आपराधिक बनाने वाला कानून स्पष्ट रूप से मनमाना है।

• "आपत्तिजनक कानून का प्रेरक सिद्धांत शायरा बानो मामले में इस निष्कर्ष से आता है कि ट्रिपल तलाक न तो इस्लामी है और न ही कानूनी है, जैसा कि कानून के उद्देश्यों और कारणों के कथन से देखा जा सकता है," इसने कहा।

• हलफनामे में कहा गया है कि "इस दावे का कोई आधार नहीं है कि विवाह व्यक्तिगत कानून के तहत होने के कारण, वे सामान्य आपराधिक कानून के आवेदन से मुक्त हैं"।

VAD IAS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

• 22 अगस्त 2017 को, सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल ट्रिपल तलाक (**तलाक-ए-बिद्दा**) को असंवैधानिक घोषित किया था। 23 अगस्त, 2019 को, शीर्ष अदालत ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की वैधता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की।

• कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है।

• दो मुस्लिम संगठनों - जमीयत उलमा-**ए-हिंद और समस्त केरल जमीयतुल उले**मा - ने अदालत से कानून को "असंवैधानिक" घोषित करने का आग्रह किया है।

• जमीयत ने अपनी याचिका में दावा किया कि "एक विशेष धर्म में तलाक के तरीके को अपराध घोषित करना जबकि अन्य धर्मों में विवाह और तलाक के विषय को केवल नागरिक कानून के दायरे में रखना भेदभाव को जन्म देता है, जो **अनुच्छेद 15 के अधिदेश के अनुरूप नहीं है।"**

लिमिन क्या है?

- लिमिन लैटिन वाक्यांश "इन लिमिन" से व्युत्पन्न एक कानूनी शब्द है, जिसका अर्थ है "**दहलीज पर" या "शुरुआत** में।"
- कानून के संदर्भ में, यह आमतौर पर लिमिन में प्रस्ताव से जुड़ा होता है, जो एक पूर्व-परीक्षण प्रस्ताव होता है जिसमें अनुरोध किया जाता है कि कुछ सबूतों को अस्वीकार्य माना जाए और इस प्रकार परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने से बाहर रखा जाए।

मुख्य बिंदु:

उद्देश्य:

- लिमिन में प्रस्ताव का प्राथमिक लक्ष्य संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण या अप्रासंगिक साक्ष्य को अदालत में पेश किए जाने से रोकना है।
- परीक्षण शुरू होने से पहले इन मुद्दों को संबोधित करके, प्रस्ताव का उद्देश्य जूरी या कार्यवाही पर किसी भी अनुचित प्रभाव से बचना है।

उदाहरण:

- मान लीजिए कि आपराधिक मामले में **बचाव पक्ष प्रतिवादी की पिछली सजाओं के साक्ष्य को** बाहर करने के लिए लिमिन में प्रस्ताव दायर करता है, यह तर्क देते हुए कि यह वर्तमान आरोप के लिए प्रासंगिक नहीं है और जूरी को अनुचित रूप से पक्षपाती बना सकता है। यदि न्यायाधीश सहमत होता है, तो यह साक्ष्य परीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जाएगा

न्यायिक सौहार्द का सिद्धांत / गैग ऑर्डर

न्यायिक सौहार्द का सिद्धांत, जिसे केवल "सौहार्द" के रूप में भी जाना जाता है, कानूनी सिद्धांत को संदर्भित करता है कि एक क्षेत्राधिकार में न्यायालय कानूनी दायित्व के बजाय सम्मान, पारस्परिकता और शिष्टाचार के आधार पर दूसरे क्षेत्राधिकार के कानूनों, न्यायिक निर्णयों और कार्यवाही को प्रभावी करेंगे। यह सिद्धांत विभिन्न कानूनी प्रणालियों की संप्रभुता और समानता की मान्यता में निहित है और उनके बीच सहयोग और सद्भाव को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।

न्यायिक सौहार्द के मुख्य पहलू:

पारस्परिक सम्मान: न्यायिक सौहार्द इस विचार पर आधारित है कि न्यायालयों को अन्य क्षेत्राधिकारों में न्यायालयों के अधिकार और निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, बशर्ते कि वे निर्णय मान्यता प्राप्त क्षेत्राधिकार की मौलिक सार्वजनिक नीति या कानूनों के विपरीत न हों।

विवेकाधीन आवेदन: न्यायिक सौहार्द का आवेदन आम तौर पर विवेकाधीन होता है, जिसका अर्थ है कि कोई न्यायालय किसी विदेशी निर्णय या कानून को मान्यता देने और लागू करने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। निर्णय केस-दर-केस आधार पर किया जाता है।

गैर-बाध्यकारी प्रकृति:

- बाध्यकारी मिसाल (स्टारे डेसिसिस) या वैधानिक कानून के सिद्धांतों के विपरीत, न्यायिक सौहार्द किसी न्यायालय को किसी अन्य क्षेत्राधिकार के निर्णयों का पालन करने या उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं करता है। इसके बजाय, यह दूसरे क्षेत्राधिकार के अधिकार के सम्मान में स्वैच्छिक मान्यता को प्रोत्साहित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सौहार्द:

- अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द: अंतर्राष्ट्रीय कानून में, न्यायिक सौहार्द अक्सर तब सामने आता है जब एक देश की अदालत को दूसरे देश की अदालत के फैसले या कानूनी कार्रवाई को मान्यता देने और लागू करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी अदालत को भारतीय अदालत के फैसले को लागू करने के लिए कहा जा सकता है।

अंतर्राज्यीय सौहार्द: संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत जैसी संघीय प्रणाली के भीतर, न्यायिक सौहार्द राज्यों या प्रांतों के बीच भी लागू होता है। एक राज्य की अदालतें दूसरे राज्य के कानूनों और निर्णयों को मान्यता दे सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं।

सीमाएँ और अपवाद:

- यदि विदेशी कानून या निर्णय को मौलिक रूप से अनुचित, सार्वजनिक नीति के विपरीत या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है, तो अदालतें न्यायिक सौहार्द लागू करने से इनकार कर सकती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई न्यायालय धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया हो, यदि मूल न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं हो, या यदि कार्यवाही उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करती हो, तो न्यायालय विदेशी निर्णय को लागू करने से इंकार कर सकता है।

व्यवहार में न्यायिक विनम्रता के उदाहरण:

विदेशी निर्णयों का प्रवर्तन: एक देश की अदालत न्यायिक विनम्रता के सिद्धांत के तहत किसी अन्य देश की अदालत द्वारा जारी किए गए मौद्रिक निर्णय को लागू कर सकती है, बशर्ते कि मूल निर्णय कुछ मानदंडों (जैसे, अधिकार क्षेत्र, निष्पक्षता, सार्वजनिक नीति) को पूरा करता हो।

VADHERA LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

विदेशी तलाक के आदेशों की मान्यता: न्यायालय किसी अन्य देश में जारी किए गए तलाक के आदेशों को मान्यता दे सकते हैं, जिससे पक्षों को मान्यता प्राप्त अधिकार क्षेत्र में पुनर्विवाह करने या संबंधित मामलों को निपटाने की अनुमति मिलती है।

प्रत्यर्पण मामले: न्यायिक विनम्रता प्रत्यर्पण मामलों में भूमिका निभा सकती है, जहां एक देश अनुरोध करने वाले देश के न्यायिक निर्णय के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करके दूसरे देश की कानूनी कार्यवाही का सम्मान करता है।

गैग ऑर्डर क्या है?

गैग ऑर्डर न्यायालय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक कानूनी आदेश है जो इसमें शामिल पक्षों, जैसे कि वकील, गवाह या प्रेस को किसी चल रहे कानूनी मामले या विशिष्ट विषय से संबंधित कुछ जानकारी पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने या उसका खुलासा करने से रोकता है।

गैग ऑर्डर का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना, शामिल व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करना, कानूनी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना और कार्यवाही पर जनता की राय या मीडिया कवरेज के संभावित प्रभाव को रोकना है।

गैग ऑर्डर के उदाहरण:

हाई-प्रोफाइल आपराधिक मुकदमे: हाई-प्रोफाइल प्रतिवादियों या गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़े मामलों में, न्यायालय मीडिया कवरेज को सीमित करने और संभावित जूरी पूर्वाग्रह को रोकने के लिए गैग ऑर्डर जारी कर सकते हैं। **उदाहरण के लिए,** हत्या के मुकदमे में प्रेस को मुकदमे के समाप्त होने तक कुछ विवरणों पर रिपोर्टिंग करने से प्रतिबंधित करने के लिए गैग ऑर्डर लगाया जा सकता है।

कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी: कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी से जुड़े मामलों में, कानूनी कार्यवाही के दौरान गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, जैसे कि व्यापार रहस्य या मालिकाना डेटा के प्रकटीकरण को रोकने के लिए गैग ऑर्डर जारी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा मामले: गैग ऑर्डर का उपयोग कभी-कभी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किया जाता है, जहां कुछ जानकारी का खुलासा सार्वजनिक सुरक्षा या सरकारी संचालन के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:

चर्चा में क्यों?हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु **18 से बढ़ाकर 21** वर्ष करने के लिए एक विधेयक पारित किया है।

- बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 नामक विधेयक, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करने का प्रयास करता है।
- विधेयक में कहा गया है कि, हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू होने वाले बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- इसके अनुसार, महिलाओं के लिए विवाह की **न्यूनतम आयु 18 वर्ष** है जबकि पुरुषों के लिए यह 21 वर्ष है।
- हिमाचल प्रदेश विधेयक में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कम उम्र में विवाह महिलाओं के पेशेवर कैरियर में प्रगति तथा शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने की मांग की गई है।

VAJIRAM LAW

- विधेयक में कहा गया है कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। हालांकि, कम उम्र में विवाह न केवल उनके कैरियर की प्रगति में बल्कि उनके शारीरिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है।
- लैंगिक समानता तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

विधेयक 2024 में संशोधन इस प्रकार हैं:

- **धारा 2** के तहत, बालक की परिभाषा में कोई भी पुरुष या महिला शामिल होगी, जिसने **21 वर्ष की आयु पूरी** नहीं की है; पहले यह 18 वर्ष थी।
- **धारा 3(3)** में संशोधन करके कानूनी आयु से कम आयु के विवाह को वयस्क होने के बाद दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है, "इस धारा के तहत याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन याचिका दायर करने वाले बच्चे के वयस्क होने के दो साल पूरे होने से पहले।"
- **विधेयक में धारा 18ए** भी पेश की गई है, जो अधिनियम के सर्वोपरि प्रभाव को स्थापित करती है, जिसका अर्थ है कि यह कानून किसी भी अन्य मौजूदा कानून पर वरीयता लेगा।
- प्रावधान में कहा गया है, "इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत या असंगत कुछ भी हो, जिसमें पक्षों को नियंत्रित करने वाली कोई प्रथा, प्रथा या अभ्यास शामिल है।"

अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्ति

चर्चा में क्यों? संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक प्रतिभाशाली दलित युवक के लिए आईआईटी-धनबाद में अतिरिक्त सीट बनाकर प्रवेश सुनिश्चित किया है, क्योंकि वह फीस की समय सीमा से चूक गया था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के बारे में:

- यह सर्वोच्च न्यायालय को अपने आदेशों और आदेशों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने और उसके समक्ष किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" करने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
- यह अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करने की अनुमति देता है जो जरूरी नहीं कि मौजूदा कानूनों के अनुरूप हों, लेकिन न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

अनुच्छेद 142 की मुख्य विशेषताएँ:

पूर्ण न्याय:

अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है। यह न्यायालय को निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर कानून के सख्त नियमों से परे जाने की अनुमति देता है।

यह सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी कमियों को भरने या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, जहाँ मौजूदा कानून समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं कर सकते हैं।

आदेशों का प्रवर्तन:

अनुच्छेद 142(1) में यह भी कहा गया है कि न्यायालय के आदेश या आदेश न्यायालय या मौजूदा कानूनों द्वारा निर्धारित तरीके से पूरे भारत में लागू किए जा सकते हैं।

VAD ICS LAW Monthly Legal Current SEP 2024

यह सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि उसके निर्णय न केवल बाध्यकारी हों, बल्कि लागू करने योग्य भी हों, भले ही इसके लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो।

सार्वजनिक हित और समानता:

अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग अक्सर सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी (पीआईएल) या सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में किया जाता है, जहाँ न्यायालय का उद्देश्य लिखित कानूनों की सीमाओं से परे निष्पक्षता और समानता को बनाए रखने वाले समाधान प्रदान करना होता है।

व्यापक दायरा:

- **सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142** का उपयोग विभिन्न ऐतिहासिक मामलों में आदेश पारित करने के लिए किया है, जहाँ मौजूदा कानून या तो अपर्याप्त थे या अस्पष्ट थे।
- न्यायालय द्वारा इस शक्ति के उपयोग के कुछ उदाहरणों में पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, चुनावी सुधार और न्यायिक नियुक्तियाँ शामिल हैं।

अनुच्छेद 142 के उपयोग के उदाहरण:

अयोध्या मामला (2019): सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया, साथ ही मस्जिद के लिए भूमि आवंटित की। न्यायालय ने लंबे समय से चले आ रहे और जटिल मुद्दे को इस तरह से हल करने के लिए मौजूदा कानूनों से परे जाकर न्यायसंगत तरीके से काम किया।

- **भोपाल गैस त्रासदी**: सुप्रीम कोर्ट ने निपटान राशि के बारे में कुछ आपत्तियों के बावजूद, आपदा के पीड़ितों के लिए मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौते को मंजूरी देने के लिए अनुच्छेद 142 को लागू किया।
- **यूनियन कार्बाइड मामला (1989):** भोपाल गैस त्रासदी के बाद, न्यायालय ने पीड़ितों को $470 मिलियन की समझौता राशि देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया।
- **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997**): न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए, क्योंकि उस समय कोई मौजूदा कानून नहीं था। ये दिशा-निर्देश तब तक लागू थे जब तक संसद ने 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम पारित नहीं कर दिया।

सीमाएँ और विवाद:

- जबकि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ देता है, इसकी आलोचना इस बात के लिए भी की गई है कि यह न्यायालय को विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में संभावित रूप से अतिक्रमण करने की अनुमति देता है।
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) में, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग मूल कानूनों को बदलने या नया कानूनी ढांचा बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियाँ असाधारण हैं, लेकिन उनका मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है या देश के स्थापित कानून की अवहेलना करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

VAD ICS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस

चर्चा में क्यों? केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रमुख ने हाल ही में घोषणा की है कि इंटरपोल ने पिछले साल रिकॉर्ड 100 रेड नोटिस जारी किए थे। यह 8 प्रकार के नोटिस जारी करता है (जिनमें से 7 रंग-कोडित हैं) जो अलर्ट/अनुरोध के रूप में होते हैं, जो सदस्य देशों में पुलिस को महत्वपूर्ण अपराध-संबंधी जानकारी साझा करने की अनुमति देते हैं।

रेड नोटिस: उद्देश्य: किसी सदस्य देश या अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति का स्थान और गिरफ्तारी की मांग करना।

विवरण: यह एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रत्यर्पण लंबित व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए अनुरोध के रूप में कार्य करता है।

2. **ब्लू नोटिस:**

उद्देश्य: किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या अपराध के संबंध में गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना।
विवरण: आपराधिक जांच में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पता लगाने या उनकी पहचान करने में मदद करता है, हालांकि यह गिरफ्तारी का अनुरोध नहीं करता है।

3. **ग्रीन नोटिस:** उद्देश्य: ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी और आपराधिक खुफिया जानकारी प्रदान करना जिन्होंने आपराधिक अपराध किए हैं और अन्य देशों में इन अपराधों को दोहराने की संभावना है।

विवरण: आम तौर पर यौन अपराधियों या आतंकवादियों जैसे अपराधियों के बारे में सदस्य देशों को सचेत करने के लिए जारी किया जाता है।

4. पीली नोटिस:

उद्देश्य: लापता व्यक्तियों, विशेष रूप से नाबालिगों का पता लगाने में मदद करना, या ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करना जो खुद को पहचानने में असमर्थ हैं।

विवरण: अक्सर लापता बच्चों या कमजोर व्यक्तियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

5. **काली नोटिस:**

उद्देश्य: अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

विवरण: मृतक व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों का पता लगाने में मदद करता है जिनकी पहचान ज्ञात नहीं है।

6. **नारंगी नोटिस:**

उद्देश्य: सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरे का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देना।

विवरण: संभावित खतरों के लिए जारी किया जाता है, जैसे कि छिपे हुए हथियार, विस्फोटक सामग्री, या आपराधिक तरीके जो सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं।

7. **बैंगनी नोटिस:**

VAID ICS LAW (Monthly Legal Current SEP 2024)

उद्देश्य: अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों या छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या प्रदान करना।

विवरण: नई आपराधिक तकनीकों या प्रौद्योगिकियों के बारे में सदस्य देशों को सचेत करने के लिए उपयोग किया जाता है।

8. **इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना:**

उद्देश्य: इंटरपोल के सदस्यों को उन व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में सूचित करना जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन हैं।

विवरण: अक्सर आतंकवादी समूहों या व्यक्तियों पर प्रतिबंधों से संबंधित, जिनमें अल-कायदा और तालिबान से जुड़े लोग शामिल हैं।

इंटरपोल के बारे में:

- इंटरपोल की स्थापना **1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC**) के नाम से की गई थी।

उद्देश्य: शुरू में, इसकी स्थापना मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा जैसे अपराधों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी।

- 1956 में, इसने आधिकारिक तौर पर इंटरपोल नाम अपनाया।
- **इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के ल्योन** में स्थित है।

विस्फोटक अधिनियम, 1884

चर्चा में क्यों? 9 सितंबर, 2024 की रात को कालिंदी एक्सप्रेस को जानबूझकर पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 287,125 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 के प्रावधानों के तहत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के बारे में:

- विस्फोटक अधिनियम 1884 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करना है। तकनीकी प्रगति और बदलते सुरक्षा मानकों को समायोजित करने के लिए अधिनियम में बाद में कई बार संशोधन किया गया।
- **विस्फोटक अधिनियम 1884** नामित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विस्फोटकों के भंडारण या उपयोग किए जाने वाले परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड की रूपरेखा भी तैयार करता है, जिसमें जुर्माना और कारावास शामिल हो सकता है।
- यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों पर लागू होता है, जिसमें **बारूद, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन और इसी तरह के अन्य पदार्थ शामिल हैं**। यह विस्फोटकों से संबंधित दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसमें दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए विस्फोटकों के संचालन, परिवहन और भंडारण के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

VAID ICS LAW (Monthly Legal ... 2024)

पिछले कुछ वर्षों में, उभरती चुनौतियों और तकनीकी प्रगति को संबोधित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम में संशोधन किया गया है। ये संशोधन अक्सर सुरक्षा मानकों को बढ़ाने, नियामक तंत्र में सुधार करने और नए प्रकार के विस्फोटकों को शामिल करने के लिए परिभाषाओं को अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मसौदा विस्फोटक विधेयक, 2024 के बारे में:

- **सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884** के प्रतिस्थापन के रूप में मसौदा विस्फोटक विधेयक, 2024 को पेश करने की योजना बना रही है, जिसे रद्द करने का लक्ष्य है।
- सार्वजनिक परामर्श के लिए खुले एक दस्तावेज़ में एक रिपोर्ट के अनुसार, **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)** ने विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- विस्फोटकों में बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन**, नाइट्रोग्लाइकोल, डाइनाइट्रोटोल्यूइन और पिक्रिक एसिड** शामिल हैं।
- प्रस्तावित विस्फोटक विधेयक 2024 के अनुसार, केंद्र सरकार लाइसेंस देने, निलंबित करने या रद्द करने के साथ-साथ नए कानून के तहत अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को नामित करेगी।
- वर्तमान में, DPIIT के तहत संचालित **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO)** किसी भी विस्फोटक सामग्री के निर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।
- प्रस्तावित विधेयक यह भी सुझाव देता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण लाइसेंस में विस्फोटकों की मात्रा निर्दिष्ट करेगा जिसे लाइसेंसधारी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, निर्धारित अनुसार, निर्माण, कब्जा, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकता है।
- मसौदा विधेयक के प्रावधानों के तहत, यदि कोई लाइसेंसधारी किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए विनिर्माण, आयात या निर्यात में संलग्न है, तो उसे तीन साल तक की कैद**, 1,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता** है। इसके विपरीत, मौजूदा विस्फोटक अधिनियम में ऐसे उल्लंघनों के लिए तीन साल की जेल और **50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।**

नए विधेयक के प्रावधानों के तहत, यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी विस्फोटक को अपने कब्जे में रखता, उसका उपयोग करता, बेचता या परिवहन करता पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की कैद, 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा कानून में जुर्माना 3,000 रुपये है।

VAID IS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

कैदी ट्रांजिट वारंट (पी.टी. वारंट):

चर्चा में क्यों इस शब्द का इस्तेमाल हाल ही में धनराज असवानी बनाम अमर एस. मूलचंदानी और अन्य के मामले में किया गया था।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

धनराज असवानी बनाम अमर एस. मूलचंदानी और अन्य (2024) का मामला मुख्य रूप से इस सवाल से संबंधित है कि क्या एक मामले में पहले से ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति किसी दूसरे मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक अपराध के लिए न्यायिक हिरासत में लिया गया आरोपी वास्तव में किसी दूसरे अपराध के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि एक मामले में हिरासत में लिया जाना किसी अन्य मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगने के व्यक्ति के अधिकार को खत्म नहीं करता है।

कैदी ट्रांजिट वारंट:

- **कैदी ट्रांजिट वारंट** (जिसे आमतौर पर पी.टी. वारंट के रूप में संदर्भित किया जाता है) एक कानूनी साधन है जिसका उपयोग आपराधिक प्रक्रिया संहिता (**सीआरपीसी), 1973 की धारा 267** के तहत किया जाता है।
- यह न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को पेश करने का आदेश देने की अनुमति देता है जो पहले से ही हिरासत (जेल या कारागार) में है, किसी अन्य आपराधिक मामले में परीक्षण, पूछताछ या जांच के उद्देश्य से, या किसी अन्य वैध उद्देश्य के लिए। यह सुनिश्चित करता है कि भले ही कोई व्यक्ति एक मामले में हिरासत में हो, उसे किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है जहाँ उसकी उपस्थिति आवश्यक है।

धारा 267 सीआरपीसी के मुख्य प्रावधान:

1. **पी.टी. वारंट जारी करने की न्यायालय की शक्ति:**

धारा 267 (1): न्यायालय पी.टी. वारंट तब जारी कर सकता है जब उसे लगता है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति जो किसी जेल में हिरासत में है या कैद है, निम्नलिखित के लिए आवश्यक है:

- किसी अपराध के आरोप का जवाब देना। आपराधिक मामले में गवाह बनना। जांच, परीक्षण या न्यायिक कार्यवाही जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए। न्यायालय को इन उद्देश्यों के लिए किसी भिन्न क्षेत्राधिकार या राज्य से कैदी को बुलाने का विवेकाधिकार है।

2. पी.टी. वारंट का उद्देश्य:

- वारंट का उपयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब कैदी को किसी भिन्न कार्यवाही के लिए, अभियुक्त या गवाह के रूप में, न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसे वर्तमान में हिरासत में लिया गया है।
- यह कानूनी कार्यवाही में अनावश्यक देरी किए बिना कैदी को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है।

VAID'S LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

3. **जारी करने की शर्तें:**

- न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि कैदी की उपस्थिति आवश्यक है।
- वारंट जारी करना इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय के पास उस मामले या जांच पर क्षेत्राधिकार है जिसके लिए कैदी की उपस्थिति आवश्यक है।

4. कैदी के स्थानांतरण की प्रक्रिया:

- एक बार **पी.टी. वारंट** जारी होने के बाद, इसे उस जेल के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाता है जहां कैदी को हिरासत में लिया गया है।
- अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैदी को सुरक्षित रूप से ले जाया जाए और आवश्यकतानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।
- स्थानांतरण का उद्देश्य (जैसे साक्ष्य देना या मुकदमे में उपस्थित होना) पूरा हो जाने पर, कैदी को मूल हिरासत में वापस कर दिया जाता है।

हालिया मामला:

- 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कैदी ट्रांजिट वारंट (पी.टी. वारंट) के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पी.टी. वारंट को नियमित वारंट में नहीं बदला जा सकता।
- **नूरुद्दीन उर्फ रफी** के मामले में यह बात उजागर हुई, जो **गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)** के तहत एक मामले में शुरू में जमानत पर था।
- न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जमानत पर होता है, लेकिन अदालत में पेश होने में विफल रहता है, तो **गैर-जमानती वारंट** जारी किया जा सकता है।
- हालांकि, एक बार जब व्यक्ति को पी.टी. वारंट के माध्यम से पेश किया जाता है, तो अदालत को आगे की कार्रवाई करने से पहले उसे अपनी अनुपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिए।

VAID ICS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

बीएनएस धारा 287 और 125 के बारे में:

- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण से संबंधित है, जो नए कानून के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 287 की जगह लेती है।
- यह धारा मशीनरी के **अनुचित या लापरवाही से संचालन के कारण मानव जीवन** को खतरे में डालने या नुकसान पहुंचाने के कृत्य को संबोधित करती है।
- यह उन व्यक्तियों को दंडित करता है जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी भी मशीनरी को, जो संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, मानव जीवन को जोखिम में डालने या चोट पहुंचाने के तरीके से उपयोग या संचालन करने की अनुमति देते हैं।
- इस अपराध की सजा में आमतौर पर कारावास (छह महीने तक), जुर्माना या दोनों शामिल हैं।

बीएनएस, 2023 की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना):

- यह "**भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने" के अपराध को संबोधित क**रती है। यह धारा निर्दिष्ट करती है कि:
- जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है या युद्ध छेड़ने का प्रयास करता है या ऐसे युद्ध को छेड़ने के लिए उकसाता है, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और साथ ही जुर्माना भी देना होगा।
- पुराने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) से लिया गया यह प्रावधान भारतीय राज्य के विरुद्ध विद्रोह, बगावत या आतंकवाद के कृत्यों को रोकने और दंडित करने के लिए बनाया गया है। सज़ा की गंभीरता इस अपराध की गंभीरता को रेखांकित करती है।

VAID'S LAW Monthly Le

समन्वय पीठ / Mutatis Mutandis

खबरों में क्यों ?दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के आबकारी नीति मामले में कुछ प्रतिबंधों के साथ जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया।

अतिरिक्त शर्तें क्या हैं?

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के समक्ष हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा और ट्रायल कार्यवाही के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग करना होगा।
- इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में **समन्वय पीठ** द्वारा निर्धारित नियम और शर्तें आवश्यक संशोधनों के साथ इस मामले पर भी लागू होंगी।
- पीठ ने कहा, "इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 10 मई, 2024 और 12 जुलाई, 2024 के आदेशों के अनुसार लगाए गए नियम और शर्तें **म्यूटैटिस म्यूटैंडिस** हैं।"

समन्वय पीठ क्या है?

- यह न्यायालय में एक पीठ (न्यायाधीशों का पैनल) को संदर्भित करता है, जिसके पास उसी न्यायालय प्रणाली के भीतर किसी अन्य पीठ के समान या बराबर अधिकार होते हैं। सरल शब्दों में, इसका अर्थ है कि दो या अधिक पीठ (जिसमें

एक या अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं) एक ही न्यायालय के भीतर अधिकार क्षेत्र या न्यायिक अधिकार के समान स्तर पर होते हैं।

समन्वय पीठ की मुख्य विशेषताएं: समान अधिकार क्षेत्र: समन्वय पीठ के पास समान स्तर पर किसी अन्य पीठ के समान शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी उच्च न्यायालय में, एक खंडपीठ (जिसमें दो न्यायाधीश शामिल होते हैं) उसी न्यायालय के भीतर किसी अन्य खंडपीठ के लिए समन्वय पीठ होती है।

गैर-बाध्यकारी निर्णय: एक समन्वय पीठ द्वारा दिया गया निर्णय किसी अन्य समन्वय पीठ पर बाध्यकारी नहीं होता है। हालाँकि, समन्वय पीठ आमतौर पर एक-दूसरे के निर्णयों का सम्मान करती हैं। न्यायिक अनुशासन और स्थिरता बनाए रखें। यदि कोई समन्वय पीठ किसी अन्य से असहमत है, तो वह विवाद को हल करने के लिए मामले को किसी बड़ी पीठ (जैसे पूर्ण पीठ या अधिक न्यायाधीशों वाली पीठ) को भेज सकती है।

न्यायिक मिसाल: जबकि समन्वय पीठ किसी अन्य के निर्णय से बाध्य नहीं होती है, वह इसे हल्के में नहीं ले सकती। यदि ऐसा होता है, तो उसे अपने भिन्न दृष्टिकोण के लिए मजबूत कारण प्रदान करने होंगे या मामले को उच्चतर पीठ को भेजना होगा। उदाहरण: उच्च न्यायालय में, यदि दो खंडपीठ समान मामलों को संभालती हैं और अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुँचती हैं, तो इन पीठों को समन्वय पीठ माना जाता है।

इस असंगति को हल करने के लिए, कानूनी मुद्दे को निपटाने के लिए एक बड़ी पीठ, जैसे पूर्ण पीठ (जिसमें तीन या अधिक न्यायाधीश शामिल हों) का गठन किया जा सकता है।

"म्यूटैटिस म्यूटैंडिस" क्या है?

इस लैटिन वाक्यांश का अनुवाद "आवश्यक परिवर्तन किए जाने" या "आवश्यक परिवर्तनों के साथ" होता है। यह दर्शाता है कि किसी कानून या नियम को किसी भिन्न संदर्भ में लागू करते समय, उचित समायोजन किए जाने चाहिए, लेकिन सामान्य सिद्धांत या मूल संरचना बरकरार रहती है।

उपयोग:

इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब एक दस्तावेज़ से किसी कानूनी सिद्धांत, खंड या प्रावधान को दूसरे पर लागू किया जाना होता है, लेकिन नए संदर्भ के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ।

उदाहरण के लिए, जब अनुबंधों को नियंत्रित करने वाला कानून किसी लीज़ समझौते पर लागू होता है, तो इस वाक्यांश का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जा सकता है कि कुछ शर्तों को लीज़ के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, लेकिन मूल नियम समान रहते हैं।

कानूनी प्रारूपण में उदाहरण: "धारा 3 के प्रावधान इस समझौते पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 ("एसआरए"):

चर्चा में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 ("एसआरए") की धारा 31 के अनुसार, किसी तीसरे पक्ष के लिए, जिसके खिलाफ बिक्री विलेख शून्य है, उसे रद्द करने की मांग करना अनिवार्य नहीं है।

VAID'S LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

कोर्ट ने कहा कि जब पक्षों के बीच बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है, तो कोई तीसरा व्यक्ति जो बिक्री में पक्ष नहीं था और बिक्री विलेख से प्रभावित था, उसे एसआरए की **धारा 31** के तहत बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करते हुए अलग से आवेदन दायर करने के लिए नहीं कहा जा सकता।

क्या था मामला?

वर्तमान मामले में, विवाद सह-स्वामी द्वारा अन्य सह-स्वामियों (प्रतिवादी) से प्राधिकरण के बिना बिक्री विलेख के माध्यम से संपूर्ण संयुक्त परिवार की संपत्ति को बाद के खरीदार (यहां अपीलकर्ता) को बेचने के कार्य की वैधता से संबंधित था। साथ ही, जब संपत्ति का हस्तांतरण अपीलकर्ता के पक्ष में हुआ, तो संपत्ति में सह-स्वामी का हिस्सा अनिर्धारित रहा।

प्रतिवादी ने चुनौती दी सह-स्वामी द्वारा संपूर्ण मुकदमा संपत्ति को अपीलकर्ता को हस्तांतरित करने का कार्य, इस आधार पर कि हस्तांतरण शून्य है, क्योंकि सह-स्वामी/हस्तांतरक को मुकदमे की संपत्ति में केवल अपना हिस्सा साझा करने का अधिकार है, न कि अपीलकर्ता को संपूर्ण मुकदमा संपत्ति।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 के बारे में:

यह "उपकरणों के निरस्तीकरण" से संबंधित है। यह उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिनमें न्यायालय द्वारा लिखित दस्तावेज को रद्द किया जा सकता है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31:

उपधारा (1): कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित दस्तावेज शून्य या शून्यकरणीय है, और जिसे इसे बनाए रखने की अनुमति दिए जाने पर गंभीर हानि हो सकती है, वह इसे **शून्य या शून्यकरणीय** घोषित करने और इसे रद्द करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। यह किसी व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज से बचने के लिए न्यायालय की सहायता लेने की अनुमति देता है जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि धोखाधड़ी वाला अनुबंध या समझौता।

उपधारा (2): यदि न्यायालय को लगता है कि साधन शून्य या शून्यकरणीय है, तो वह साधन को रद्द करने का आदेश दे सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य में कोई भी इसका उपयोग न कर सके।

संबंधित धाराएँ:

धारा 32: यह धारा न्यायालय की उस शक्ति को कवर करती है, जिसके तहत उस पक्ष को बाध्य किया जा सकता है, जिसका साधन रद्द किया जा रहा है, साधन के तहत प्राप्त किसी भी लाभ को बहाल करने के लिए।

धारा 33: यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं से संबंधित है कि रद्द किए गए साधन को अप्रभावी बना दिया जाए और यदि आवश्यक हो तो उसे नष्ट किया जा सकता है।

धारा 34: यह धारा यह घोषणा करने की अनुमति देती है कि कोई साधन शून्य या शून्यकरणीय है, लेकिन बिना रद्द किए (यदि वादी पूर्ण रद्दीकरण नहीं चाहता है)।

प्रासंगिक केस लॉ :

सतनाम सिंह और अन्य बनाम सुरेंदर कौर (2009) - इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 31 को तब लागू किया जा सकता है, जब वादी को यह आशंका हो कि भविष्य में साधन का उपयोग उसके नुकसान के लिए किया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि साधन से पहले ही नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए।

VAD IS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

जे. सैमुअल बनाम गट्टू महेश (2012) - न्यायालय ने माना कि धारा 31 के तहत निरस्तीकरण की मांग करने के लिए, साधन शून्य या शून्यकरणीय होना चाहिए, और उस व्यक्ति को हानि की वास्तविक आशंका होनी चाहिए जिसके खिलाफ साधन संचालित होता है।

एस. षणमुगम पिल्लई बनाम के. षणमुगम पिल्लई (1973) - इस मामले में, न्यायालय ने माना कि भविष्य में हानि होने की आशंका मात्र निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि वादी यह प्रदर्शित न कर सके कि साधन उन्हें किस तरह से प्रभावित कर रहा है या कर सकता है।

टी. अरिवंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल (1977) - इस निर्णय ने यह सुनिश्चित करने के महत्व को स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस कारण के साधनों को चुनौती देने के लिए धारा 31 के तहत तुच्छ मामले नहीं लाए जाएं।

सीआरपीसी की धारा 173(2) :

चर्चा में क्यों? केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि जब जांच अधिकारी ने **सीआरपीसी** की धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि कुछ आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को उक्त निष्कर्ष के बारे में मुखबिर/पीड़ित को नोटिस जारी करना चाहिए था।

न्यायालय ट्रायल कोर्ट के निर्देशों के आधार पर दर्ज एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले की सुनवाई कर रहा था।

न्यायमूर्ति के. बाबू की पीठ ने कहा, "...जब जांच **अधिकारी ने धारा 173(2)** के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि कुछ आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को उक्त निष्कर्ष के बारे में मुखबिर/पीड़ित को नोटिस जारी करना चाहिए था।"

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173(2) के बारे में:

यह जांच अधिकारी द्वारा जांच पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित है।

मुख्य बिंदु:

समय-सीमा: जांच बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरी होनी चाहिए, और रिपोर्ट पूरी होने के तुरंत बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए।

रिपोर्ट की विषय-वस्तु: रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए:

- मामले में शामिल पक्षों के नाम।
- प्राप्त जानकारी की प्रकृति जिसके कारण जांच की गई।
- मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम।
- क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, और यदि किया गया है, तो किसके द्वारा।
- आरोपी की गिरफ्तारी की स्थिति: क्या गिरफ्तार किया गया है, जमानत पर रिहा किया गया है, या हिरासत में भेजा गया है।
- कोई भी दस्तावेज या प्रासंगिक अंश जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करना चाहता है, जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों को छोड़कर।
- **धारा 161** के तहत दर्ज किए गए बयान, जिन सभी व्यक्तियों से अभियोजन पक्ष गवाह के रूप में पूछताछ करने की योजना बना रहा है।

VAID ICS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

गोपनीय जानकारी: यदि जांच अधिकारी का मानना है कि बयान का कोई हिस्सा अप्रासंगिक है या अभियुक्त के सामने उसका खुलासा न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, तो वे मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकते हैं कि वह अभियुक्त को प्रदान की गई प्रतियों से उस हिस्से को बाहर कर दे।

पूरक आरोप-पत्र: यदि जांच अधिकारी को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अतिरिक्त साक्ष्य मिलते हैं, तो वे आगे की जांच करने और पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए न्यायालय से अनुमति मांग सकते हैं।

धारा 173 सीआरपीसी के संबंध में प्रासंगिक न्यायिक घोषणाएँ:

समाज परिवर्तन समुदाय बनाम केरल राज्य (2012) 7 एससीसी 407 के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि किसी मामले की जांच के प्रभारी पुलिस अधिकारी को कोई अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य मिलता है, तो उसके लिए उसे निर्धारित प्रारूप में पूरक रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। यह भी देखा गया कि पुनः जांच की अनुमति नहीं है, लेकिन आगे की जांच निषिद्ध नहीं है।

विनुभाई हरिभाई मालवीय और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2019) 17 एससीसी के मामले में, उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी कि विनुभाई के कानूनी उत्तराधिकारियों ने सूरत में जमीन के मूल्य में वृद्धि के कारण जमीन के संबंध में **पावर-ऑफ-अटॉर्नी बनाकर साजिश** रची है। आरोपियों ने जमीन के कानूनी मालिकों से जमीन हड़पने की कोशिश की थी। सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि मजिस्ट्रेट किसी मामले के संज्ञान के बाद भी **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अपनी शक्ति** का इस्तेमाल कर सकता है।

श्वेत पत्र :

चर्चा में क्यों? दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने हाल ही में समाप्त हो चुकी आबकारी नीति पर श्वेत पत्र की मांग की है।

श्वेत पत्र क्या है?

इसके विपरीत, श्वेत पत्र किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे पर व्यापक जानकारी, विश्लेषण और प्रस्ताव प्रदान करता है। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सूचित करना, समाधान प्रस्तावित करना या कार्रवाई के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना है। इसे अक्सर सरकारें, संगठन या विशेषज्ञ नीति को आकार देने के लिए तैयार करते हैं।

- श्वेत पत्र नीति निर्माताओं, हितधारकों और जनता को सरकार की नीतियों, पहलों और अर्थव्यवस्था पर उनके इच्छित प्रभाव के बारे में सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह आर्थिक संकेतकों, सुधारों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनके निहितार्थों का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करता है।

श्वेत पत्र की विशेषताएँ:

व्यापक जानकारी: किसी विशेष विषय, मुद्दे या नीति पर विस्तृत और व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

वस्तुनिष्ठ स्वर: एक वस्तुनिष्ठ और तटस्थ स्वर बनाए रखता है, बिना किसी मजबूत राय या पूर्वाग्रह के जानकारी और विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

नीति अनुशंसाएँ: इसमें गहन विश्लेषण और शोध के आधार पर नीति परिवर्तन, पहल या सुधारों के लिए प्रस्ताव या अनुशंसाएँ शामिल हो सकती हैं।

VAID'S LAW Monthly Legal Current - SEP 2024

आधिकारिक स्रोत: अक्सर तर्कों और सिफारिशों का समर्थन करने के लिए आधिकारिक स्रोतों, शोध निष्कर्षों और विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हैं।

शैक्षिक और सूचनात्मक: हितधारकों, नीति निर्माताओं और जनता को जटिल मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का लक्ष्य, सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदान करना।

ब्लैक पेपर क्या है?

एक ब्लैक पेपर किसी विशेष विषय, मुद्दे या नीति पर एक आलोचनात्मक या असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से प्रचलित आख्यानों, नीतियों या दृष्टिकोणों को चुनौती देता है, विवादास्पद विषयों को संबोधित करता है, साक्ष्य प्रदान करता है और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है।

ब्लैक पेपर्स की विशेषताएँ:

आलोचनात्मक विश्लेषण: इसमें मौजूदा नीतियों, प्रथाओं या दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है।

विरोधी रुख: प्रचलित आख्यानों या दृष्टिकोणों को चुनौती देते हुए विरोध या असहमति व्यक्त करता है।

विवादास्पद विषय: अक्सर विवादास्पद या विवादास्पद विषयों को संबोधित करते हुए वैकल्पिक दृष्टिकोण या व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं।

साक्ष्य-आधारित तर्क: आलोचनात्मक मूल्यांकन और दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए साक्ष्य, डेटा और तार्किक तर्कों पर निर्भर करता है।

परिवर्तन के लिए वकालत: कथित कमियों या अन्याय को दूर करने के लिए नीतिगत परिवर्तनों, सुधारों या वैकल्पिक तरीकों की वकालत कर सकते हैं।

सीआरपीसी की धारा 195(1)(बी)(ii)

चर्चा में क्यों? सीआरपीसी की धारा 195(1)(बी)(ii) : जालसाजी के आरोपों से जुड़े एक मामले से निपटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 195(1)(बी)(ii) के तहत न्यायालय में दायर दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप की जांच करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जब ऐसी जालसाजी उसके प्रस्तुत किए जाने से पहले की गई हो।

- **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(बी)(ii) के** अनुसार, न्यायालय किसी न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के संबंध में जालसाजी के अपराध का संज्ञान केवल उस न्यायालय द्वारा अधिकृत अधिकारी (जहां जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था) की लिखित शिकायत पर ही ले सकता है।
- आरोपों के अनुसार, प्रतिवादियों ने **धोखाधड़ी से स्टाम्प पेपर** प्राप्त किया था और एक अपंजीकृत बिक्री समझौता तैयार किया था। इसके बाद, उन्होंने कुछ राहत की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया और मुकदमे में जाली दस्तावेज दायर किया गया। हालांकि आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता कि जब मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन था, तब **दस्तावेज जाली थे या नहीं।**
- प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोर्ट में दायर दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने इन कार्यवाहियों को यह कहते हुए रद्द कर

VAID LEGAL (Monthly Legal Current - SEP 2024)

दिया कि मुकदमे के अंतिम होने तक सिविल कोर्ट में दायर किए गए दस्तावेज की जालसाजी के लिए कोई एफआईआर/निजी शिकायत नहीं हो सकती।

- **जब अपीलकर्ता(ओं)** ने इसका विरोध किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने इकबाल सिंह मारवाह एवं अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह एवं अन्य में दिए गए निर्णय के अनुपात को नजरअंदाज कर दिया। इस निर्णय को उद्धृत करते हुए,
- "**धारा 195(1)(बी)(ii)** सीआरपीसी तभी लागू होगी, जब **उक्त प्रावधान** में उल्लिखित अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में तब किए गए हों, जब उसे किसी न्यायालय में कार्यवाही में पेश किया गया हो या साक्ष्य के रूप में दिया गया हो, यानी उस समय के दौरान जब दस्तावेज कानूनी हिरासत में था"।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 195(1)(बी)(ii) के बारे में:

यह न्यायिक कार्यवाही से संबंधित कुछ अपराधों के लिए अभियोजन से संबंधित है। यह विशेष रूप से यह आदेश देता है कि कोई भी न्यायालय कुछ अपराधों का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो।

धारा 195(1)(बी)(ii) में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा **463, 471, 475, या 476** के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, यदि अपराध किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में किया गया है, सिवाय उस न्यायालय की लिखित शिकायत या उस न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा।

मुख्य बिंदु:

- यह धारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए **दस्तावेज़ों के जालसाजी या धोखाधड़ीपूर्ण** उपयोग जैसे अपराधों के अभियोजन पर न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता के द्वारा न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता की रक्षा करने के लिए बनाई गई है।

आईपीसी की इन धाराओं के तहत जालसाजी से संबंधित अपराधों में शामिल हैं:

धारा 463: जालसाजी

धारा 471: जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में इस्तेमाल करना

धारा 475: दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण या चिह्न की जालसाजी करना

धारा 476: झूठे सबूत गढ़ना

पीआईबी तथ्य-जांच इकाइयाँ (एफसीयू):

चर्चा में क्यों? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023, विशेष रूप से नियम 3 को रद्द कर दिया है, जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सरकार के खिलाफ़ झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए तथ्य-जांच इकाइयाँ (एफसीयू) बनाने का अधिकार देता है।

VAD ICS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

न्यायालय की दलीलें क्या हैं?

- एकल न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा, "यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है।"
- न्यायालय ने कहा कि संशोधित नियम **3 (1) (बी) (वी) अनुच्छेद 12, 19 (1) और 19 1 (जी**) का उल्लंघन करता है।

सरकार की दलीलें क्या हैं?

- केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि एफसीयू आलोचना या व्यंग्य को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि केवल सरकार से संबंधित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता** ने जोर देकर कहा कि विवादित नियम केवल आधिकारिक सरकारी फाइलों में पाई जाने वाली जानकारी पर लागू होता है। इस दावे के जवाब में कि **नियम 3 स्वतंत्र अभिव्यक्ति** को रोक सकता है, मेहता ने कहा कि कोई भी डराने वाला प्रभाव केवल फर्जी और झूठी खबरों से संबंधित होना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के बारे में सतर्क रहना चाहिए।
- उन्होंने तर्क दिया कि सरकार अंतिम मध्यस्थ नहीं होगी; इसके बजाय, मध्यस्थ शुरू में सामग्री का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें अदालतें अंतिम निर्णय लेने वालों के रूप में काम करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सटीक जानकारी का अधिकार मौलिक अधिकार है।

नियम 3 के मुख्य प्रावधान:

1. **मध्यस्थों द्वारा उचित परिश्रम (नियम 3(1)):**

मध्यस्थों के दायित्व: मध्यस्थों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित परिश्रम का पालन करना आवश्यक है। इसमें उनके नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति और उनके प्लेटफ़ॉर्म पर सेवा की शर्तों को प्रमुखता से प्रकाशित करना शामिल है।

कुछ सामग्री का निषेध: प्लेटफ़ॉर्म को ऐसी कोई भी सामग्री होस्ट, प्रदर्शित या प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो:

- किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करती हो।
- अपमानजनक, अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक, पीडोफ़िलिक, गोपनीयता का हनन करने वाली या नाबालिगों के लिए हानिकारक हो।
- हिंसा भड़काती हो, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती हो या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती हो।

2. **शिकायत निवारण तंत्र (नियम 3(2)):**

- **शिकायत अधिकारी:** प्रत्येक मध्यस्थ को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो विशिष्ट समय-सीमा के भीतर शिकायतों को स्वीकार करेगा और उनका समाधान करेगा।
- सामग्री को हटाने के बारे में शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाना चाहिए।
- समग्र शिकायत का **समाधान 15 दिनों के भीतर** किया जाना चाहिए।
- **प्रभावी संचार और अनुपालन** सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अधिकारी का भारत में स्थित होना आवश्यक है।

3. **सरकारी आदेशों का अनुपालन (नियम 3(2)(सी)):**

VAD ICS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

- मध्यस्थों को न्यायालय के आदेश या किसी उपयुक्त सरकारी एजेंसी द्वारा अधिसूचना के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर गैरकानूनी सामग्री को हटाना या उस तक पहुँच को अक्षम करना चाहिए।
- प्लेटफ़ॉर्म को ऐसे आदेश प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर उनका अनुपालन करना चाहिए।

4. **2023 संशोधन के तहत अतिरिक्त प्रावधान:**

- गलत सूचना का निषेध: 2023 संशोधन के तहत नियम 3, फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए प्रावधान पेश करता है।
- मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) या किसी अन्य अधिकृत सरकारी निकाय की तथ्य जाँच इकाई (FCU) द्वारा झूठी के रूप में चिह्नित किसी भी जानकारी को होस्ट या अनुमति न दें।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा: संशोधनों में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि मध्यस्थों को ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकना चाहिए जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती है।

5. **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही:**

- 2023 के संशोधन प्रमुख मध्यस्थों (फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे बड़े उपयोगकर्ता आधार वाले) पर सख्त आवश्यकताएँ लागू करते हैं।

इनमें शामिल हैं:

- भारत में स्थित एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना।
- हटाए गए कंटेंट या उपयोगकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में अनुपालन रिपोर्ट को नियमित रूप से अपडेट करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्लेटफॉर्म फर्जी खबरों या गलत सूचना का केंद्र न बन जाए, कंटेंट अपलोड करने के संबंध में उचित परिश्रम करना।

6. **विवाद समाधान तंत्र:**

नियम 3 के तहत, डिजिटल मध्यस्थों को विवाद समाधान के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होती है, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ उपयोगकर्ताओं को लगता है कि उनकी सामग्री को अनुचित तरीके से हटाया या प्रतिबंधित किया गया है।

VAID ICS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के बारे में:

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) फैक्ट चेक यूनिट फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित इकाई है। यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सटीक और विश्वसनीय जानकारी जनता तक पहुंचे।

पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

दावों की तथ्य-जांच: यूनिट सरकारी नीतियों, पहलों, योजनाओं और अन्य घोषणाओं से संबंधित सूचनाओं की पुष्टि करती है।

अफवाहों का खंडन: यह ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रसारित होने वाली झूठी या भ्रामक सूचनाओं को संबोधित करती है।

दुष्प्रचार अभियानों का मुकाबला करना: यूनिट दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने के प्रयासों की पहचान करती है और उन्हें उजागर करती है।

सटीक जानकारी प्रदान करना: यह विभिन्न चैनलों के माध्यम से जनता को विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी प्रदान करती है।

ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दृष्टिकोण / संवैधानिक टोर्ट:

चर्चा में क्यों? इन शब्दों का प्रयोग हाल के केस लॉ में किया गया है।

भारतीय संविधान में, ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण और क्षैतिज दृष्टिकोण मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग और प्रवर्तन तथा शक्तियों के वितरण को संदर्भित करता है। ये दृष्टिकोण संघवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य प्राधिकरण के बीच संतुलन के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

1. **ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण:**

यह व्यक्ति और राज्य (केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक प्राधिकरणों सहित) के बीच संबंधों को संदर्भित करता है। ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं। इस दृष्टिकोण के तहत, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सरकार की कार्रवाइयों को चुनौती दे सकते हैं।

उदाहरण: अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के उद्देश्य से "राज्य" को परिभाषित करता है और इसमें सरकार और उसकी एजेंसियाँ शामिल हैं। यदि कोई सरकारी प्राधिकरण किसी के समानता के अधिकार (**अनुच्छेद 14**) या स्वतंत्रता के अधिकार (**अनुच्छेद 19)** का उल्लंघन करता है, तो वे इस ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण के तहत निवारण के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

2. **क्षैतिज दृष्टिकोण:** क्षैतिज दृष्टिकोण निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच संवैधानिक अधिकारों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। इसमें ऐसे विवाद शामिल हैं जहाँ एक व्यक्ति के कार्य दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आम तौर पर, भारतीय संविधान मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों को ऊर्ध्वाधर तरीके से लागू करता है, लेकिन ऐसे मामले भी हैं जहाँ अदालतों ने क्षैतिज दृष्टिकोण लागू किया है, खासकर श्रम कानून, अनुबंध कानून या निजी रोजगार स्थितियों में।

उदाहरण: कुछ मामलों में, जैसे भेदभाव या उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा, अदालतों ने समानता या गरिमा की सुरक्षा जैसे कुछ मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच संबंधों में भी बढ़ाया है, जैसे कि कार्यस्थलों में।

VAID IC LAW | Monthly Legal Current

मुख्य अंतर: ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण: राज्य या सरकार के खिलाफ लागू किया जाता है।

क्षैतिज दृष्टिकोण: निजी पक्षों के बीच प्रवर्तन शामिल है, हालांकि भारतीय संविधान में कम प्रत्यक्ष है।

"संवैधानिक टॉर्ट " क्या है?

यह किसी सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी संस्था द्वारा की गई कानूनी गलती या चोट को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह अवधारणा किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़ा या उपचार प्राप्त करने की अनुमति देती है।

संवैधानिक टॉर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: संवैधानिक अपकृत्य तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, जैसे कि जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता (अनुच्छेद 14), या स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), का उल्लंघन किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या राज्य की कार्रवाई द्वारा किया जाता है।

सार्वजनिक कानून उपाय: संवैधानिक अपकृत्य सार्वजनिक कानून के तहत संचालित होता है, जिसका अर्थ है कि गलत किए गए गलत कार्य में राज्य या उसके प्रतिनिधि आधिकारिक क्षमता में कार्य करते हैं। सामान्य नागरिक कानूनों के बजाय संवैधानिक प्रावधानों के तहत उपचार की मांग की जाती है।

उल्लंघन के लिए मुआवजा: न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित को मुआवजा देने का अधिकार है। इसे उन व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक उपाय माना जाता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

रिट अधिकार क्षेत्र: पीड़ित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष) या अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय के समक्ष) के तहत रिट याचिका दायर करके राहत मांग सकते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़े से संबंधित रिट जारी करने की शक्ति देते हैं।

भारत में विकास:

भारत में संवैधानिक अपकृत्य की अवधारणा मुख्य रूप से न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से विकसित हुई थी। कुछ ऐतिहासिक निर्णय इस प्रकार हैं:

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983): सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को मुआवज़ा दिया, जिसे बरी होने के बाद भी 14 साल तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था, यह उन पहले उदाहरणों में से एक था, जहाँ न्यायालय ने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़े की आवश्यकता को पहचाना।

नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य किसी व्यक्ति की हिरासत में हुई मृत्यु के लिए मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की पुष्टि करता है। इस मामले ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि अधिकारों के उल्लंघन के लिए संवैधानिक उपायों में मुआवज़ा शामिल है।

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में हिंसा और यातना को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य की जवाबदेही स्थापित की।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 15

VAD IS LAW (Month Wise Legal Current - SEP 2024)

चर्चा में क्यों? मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज करते हुए जिसमें कहा गया था कि बिना किसी इरादे के बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण करना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत **अपराध नहीं** है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि **ऐसी सामग्री को बिना हटाए या बिना रिपोर्ट किए संग्रहीत करना, प्रसारित करने के इरादे को दर्शाता है।**

फैसले के मुख्य बिंदु:

- **पॉक्सो की धारा 15** में तीन अलग-अलग अपराधों का प्रावधान है, जो धारा की उप-धाराओं में निर्दिष्ट अनुसार प्रसारित करने, प्रदर्शित करने आदि के इरादे से किसी भी बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण या कब्जे को दंडित करते हैं।
- यह एक अपूर्ण अपराध की प्रकृति और रूप है, जो किसी बच्चे से संबंधित किसी भी अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्जे को दंडित करता है, जब किसी वास्तविक संचरण, प्रसार आदि की आवश्यकता के बिना इसके तहत निर्धारित विशिष्ट इरादे से किया जाता है।
- **धारा 15 की उप-धारा (1)** किसी भी बाल अश्लील सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता को दंडित करती है, जो किसी व्यक्ति के पास संग्रहीत या कब्जे में पाई गई है, जिसका उद्देश्य इसे साझा या प्रसारित करना है।
- इस प्रावधान के तहत आवश्यक **मेन्स-रीया या इरादा एक्टस रीउस** से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी, यह उस तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें ऐसी सामग्री संग्रहीत या रखी गई है और जिन परिस्थितियों में इसे हटाया, नष्ट या रिपोर्ट नहीं किया गया था। इस प्रावधान के तहत अपराध का गठन करने के लिए परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से अभियुक्त की ओर से ऐसी सामग्री को साझा या प्रसारित करने के इरादे का संकेत देना चाहिए।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 के बारे में:

- यह भारत में एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाना है। यह बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम, रिपोर्टिंग और सजा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

POCSO अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

बच्चे की परिभाषा: अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

यौन अपराध: अधिनियम में यौन अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- यौन हमला
- यौन उत्पीड़न
- यौन दुर्व्यवहार
- यौन शोषण
- बाल पोर्नोग्राफी

POCSO अधिनियम (2019 संशोधन) में प्रमुख परिवर्तन:

1. यौन अपराधों के लिए सख्त सजा:

a. गंभीर यौन उत्पीड़न (धारा 6) के लिए मृत्यु दंड:

- संशोधन में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर गंभीर यौन उत्पीड़न (धारा 6) के मामलों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। यह नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराधों के बढ़ते मामलों के जवाब में है।

VAIDIC LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

- गंभीर भेदक यौन हमला में अधिकार या विश्वास की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा यौन शोषण शामिल है, या ऐसे मामलों में जहां पीड़ित 12 वर्ष से कम आयु का है।

बी. न्यूनतम सजा में वृद्धि:

- भेदक यौन हमले (धारा 4) के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यह परिवर्तन अपराधियों के लिए कानून को और अधिक कठोर बनाने के इरादे को दर्शाता है।

2. **बाल पोर्नोग्राफी (नई धारा 15):**

- संशोधन में ऐसे प्रावधान पेश किए गए हैं जो विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी से निपटते हैं। नई धारा 15 के तहत, यह अपराध है:
- अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करना।
- बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करने वाली सामग्री को संग्रहीत करना, प्रसारित करना या बनाना।
- अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करने की सजा जुर्माने के साथ **5 से 7 साल की कैद हो सकती** है।
- दोहराए गए अपराधियों या बाल पोर्नोग्राफी के दौरान बच्चे पर भेदक यौन हमला करने वालों को कठोर दंड का सामना करना पड़ता है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड शामिल है।

3. **लिंग-तटस्थ प्रावधान:**

- संशोधन इस बात को पुष्ट करता है कि POCSO अधिनियम लिंग-तटस्थ है। इसमें यौन अपराधों के शिकार लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं।

4. **गंभीर अपराधों के लिए प्रावधान (धारा 5 और धारा 9):**

- संशोधन गंभीर अपराधों (**धारा 5 और 9)** की सूची का विस्तार करता है, जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं, जहाँ अपराधी सत्ता के पद पर है, जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी या अस्पताल का कोई कर्मचारी।
- इसमें ऐसी परिस्थितियाँ भी शामिल हैं, जहाँ यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप बच्चे को शारीरिक नुकसान, मानसिक चोट या गर्भधारण होता है, जिससे ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान होता है।

5. **मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटान (धारा 35):**

- शीघ्र सुनवाई और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए, संशोधन जाँच और परीक्षण प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करता है। विशेष न्यायालयों को संज्ञान की तिथि से एक वर्ष के भीतर परीक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
- संशोधन में सुनवाई के दौरान बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है, जैसे कि बच्चे को आरोपी के संपर्क में आने से रोकना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की अनुमति देना।

6. **झूठी शिकायतों के लिए जुर्माना (धारा 22):**

- 2019 का संशोधन दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई यौन अपराधों की झूठी शिकायतों के लिए दंड लगाता है। हालाँकि, प्रावधान को सावधानीपूर्वक शब्दों में लिखा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पीड़ितों द्वारा वास्तविक शिकायतों या रिपोर्टिंग को हतोत्साहित न करे।

VAD ICSI LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)

7. **कुछ मामलों में अग्रिम जमानत नहीं (धारा 31):**

- संशोधन अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान को मजबूत करता है। गंभीर यौन उत्पीड़न (धारा 5) के मामलों में, अदालत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दे सकती, यह सुनिश्चित करते हुए कि अपराधियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए।

भविष्य के लिए समझौता: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों? विश्व नेताओं ने हाल ही में भविष्य के लिए एक समझौता अपनाया है जिसमें एक वैश्विक डिजिटल समझौता और भावी पीढ़ियों पर एक घोषणा शामिल है। इस समझौते में शांति और सुरक्षा, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सहयोग, मानवाधिकार, लिंग, युवा और भावी पीढ़ियों और वैश्विक शासन के परिवर्तन सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया है।

समझौते का महत्व:

- भविष्य के लिए समझौता, वैश्विक डिजिटल समझौता और भावी पीढ़ियों पर घोषणा नए अवसरों और अप्रयुक्त संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
- यह समझौता सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए एक स्थायी, न्यायसंगत और शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की नींव रखेगा।

प्रमुख समझौते:

शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में:

- 1960 के दशक के बाद से सुरक्षा परिषद सुधार के लिए सबसे प्रगतिशील और ठोस प्रतिबद्धता, जिसमें परिषद की **प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व में सुधार करने की योजना** है, जिसमें **अफ्रीका के ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व** को प्राथमिकता के रूप में दूर करना शामिल है।
- एक दशक से भी अधिक समय में **परमाणु निरस्त्रीकरण** के लिए पहली बहुपक्षीय पुनः प्रतिबद्धता, जिसमें परमाणु **हथियारों को पूरी तरह से समाप्त** करने के लक्ष्य के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता है।
- बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों को मजबूत करने के लिए समझौता, जिसमें बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए स्पष्ट **प्रतिबद्धता और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता** शामिल है कि सभी देश बाह्य अंतरिक्ष के सुरक्षित और टिकाऊ अन्वेषण से लाभ उठा सकें।
- **घातक स्वायत्त हथियारों जैसी नई प्रौद्योगिकियों** के शस्त्रीकरण और दुरुपयोग से बचने के लिए कदम, और यह पुष्टि कि युद्ध के कानून इनमें से कई नई प्रौद्योगिकियों पर लागू होने चाहिए।
- सतत विकास, जलवायु और विकास के लिए वित्तपोषण पर:

संपूर्ण संधि सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को गति देने के लिए बनाई गई है।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र में अब तक का सबसे विस्तृत समझौता ताकि यह विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व और सेवा कर सके, **जिसमें शामिल हैं:**
- विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निर्णय लेने के तरीके में अधिक अधिकार देना;

VAID ICS LAW | Monthly Legal Current - SEP 2024

- विकासशील देशों को उनकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों से अधिक वित्तपोषण जुटाना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए संप्रभु ऋण संरचना की समीक्षा करना कि विकासशील देश अपने भविष्य में निवेश करने के लिए सतत रूप से उधार ले सकें, जिसमें **IMF, UN, G20** और अन्य प्रमुख खिलाड़ी एक साथ काम कर रहे हों;
- IMF और सदस्य देशों द्वारा ठोस कार्रवाई के माध्यम से वित्तीय और आर्थिक झटकों की स्थिति में सबसे गरीब लोगों की रक्षा के लिए वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करना;
- जलवायु परिवर्तन पर, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से **1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने और 2050** तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता की पुष्टि।

ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट:

- समझौते से जुड़ा ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट डिजिटल सहयोग और एआई गवर्नेंस के लिए पहला व्यापक वैश्विक ढांचा है।
- इस समझौते के केंद्र में सभी के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को डिजाइन, उपयोग और नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता है।

इसमें विश्व नेताओं द्वारा **निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं शामिल** हैं:

- सभी लोगों, स्कूलों और अस्पतालों को इंटरनेट से जोड़ना;
- मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून में डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना;
- सरकारों, तकनीकी कंपनियों और सोशल मीडिया द्वारा की गई कार्रवाइयों के माध्यम से ऑनलाइन स्पेस को सभी के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना;
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करना, एक रोडमैप के साथ जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और एआई पर एक वैश्विक नीति संवाद शामिल है;
- ओपन-सोर्स डेटा, मॉडल और मानकों पर समझौतों के साथ डेटा को अधिक खुला और सुलभ बनाना;
- यह डेटा गवर्नेंस के लिए पहली वैश्विक प्रतिबद्धता भी है, इसे संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में रखा गया है और देशों को 2030 तक ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

युवा और भावी पीढ़ियाँ: भावी पीढ़ियों पर घोषणा

- भावी पीढ़ियों पर पहली घोषणा, जिसमें हमारे निर्णय लेने में भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें भावी पीढ़ियों के लिए संभावित दूत भी शामिल है।
- युवा लोगों को उनके जीवन को आकार देने वाले निर्णयों में भाग लेने के लिए अधिक सार्थक अवसरों के लिए प्रतिबद्धता, विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर।

मानव अधिकार और लिंग:

VAID ICS LAW | Monthly Legal Current - SEP 2024

- मानवाधिकार, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण पर हमारे काम को मजबूत करना।
- मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर स्पष्ट आह्वान।

• स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य सहित वैश्विक शासन में अन्य हितधारकों की भागीदारी के महत्व पर मजबूत संकेत।

असम समझौता : खंड 6

चर्चा में क्यों? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में **असम समझौते के खंड 6** के कार्यान्वयन पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) नेतृत्व के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य सरकार बराक घाटी और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में सहमति के बिना असम समझौते के खंड 6 को लागू नहीं करेगी।

असम समझौते के बारे में:

- यह 1985 में भारत सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता है। यह लंबे समय से चल रहे असम आंदोलन को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश से अवैध आव्रजन के मुद्दे पर केंद्रित था।

असम समझौते के प्रमुख प्रावधान:

कट-ऑफ तिथि: समझौते ने असम में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए 25 मार्च, 1971 को कट-ऑफ तिथि के रूप में स्थापित किया। इस तिथि से पहले या इस तिथि को असम में प्रवेश करने वालों को भारतीय नागरिक माना जाएगा, जबकि इस तिथि के बाद प्रवेश करने वालों को अवैध अप्रवासी माना जाएगा।

निर्वासन: समझौते में कट-ऑफ तिथि के बाद पहचाने गए सभी अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने का आह्वान किया गया।

मतदाता सूची संशोधन: इसने अवैध अप्रवासियों के नाम हटाने के लिए मतदाता सूची में संशोधन को अनिवार्य बना दिया।

भाषा संरक्षण: समझौते में भाषा संरक्षण के मुद्दे को भी संबोधित किया गया, जिसमें राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में असमिया का उपयोग सुनिश्चित किया गया।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय: इसने असम के स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए।

असम समझौते के खंड 6 के बारे में:

असम समझौते (1985) का खंड 6 स्वदेशी असमिया लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक प्रमुख प्रावधान है। असम समझौते पर 15 अगस्त, 1985 को भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से असम में अवैध अप्रवास की चिंताओं को दूर करना था।

VAD ICS LAW Monthly Legal Current - SEP 2024

खंड 6 के मुख्य प्रावधान:

असम समझौते के खंड 6 में विशेष रूप से कहा गया है:

- संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय, जो भी उचित हो, असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदान किए जाएंगे।

मुख्य उद्देश्य:

असमिया पहचान की रक्षा: मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि असम के स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक अधिकार सुरक्षित हों।

विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय: खंड में यह परिकल्पना की गई है कि भारत सरकार असमिया लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधायी या प्रशासनिक उपाय करेगी। हालाँकि, इन सुरक्षा उपायों के बारे में विशिष्ट प्रावधान समझौते में विस्तृत नहीं थे, जिससे यह भविष्य की कार्रवाई के लिए खुला रह गया।

VAID ICS LAW (Monthly Legal Current - SEP 2024)